

25 आश्विन 1934 (शO)

(सं0 पटना 560) पटना, बुधवार, 17 अक्तूबर 2012

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

16 अक्तूबर 2012

एस०ओ० 193, दिनांक 17 अक्तूबर 2012—बिहार मनोरंजन—कर अधिनियम, 1948 की धारा—10 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा किया जाना राज्य हित में आवश्यक है, बिहार—राज्यपाल एतद् द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट के लिए स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उल्लिखित अवधि तक मनोरंजन—कर के भुगतान से विमुक्त करते है :--

तालिका

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि की सीमा
1	2	3	4
1		वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन/विस्तारीकरण	दो वर्ष
	उन्नयन ∕ विस्तारीकरण		
	/ आधुनिकीकरण	के निर्माण मद में 31.03.2015 तक रू01	
	अथवा नये छविगृह का	करोड़ से अधिक परन्तु रू० 1.5 करोड़ से	
	निर्माण।	कम पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन	
		पुनः प्रारंभ⁄प्रारंभ कियाँ गया हो एवं पूँजी	
		निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी	
		द्वारा सत्यापित हो।	
		2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित / नवनिर्मित	
		छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के	
		एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त	
		आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र ''I''	
		में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं	

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि की सीमा
1	2	3	4
		वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण–पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त्त के अधीन प्र पत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।	
2	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन⁄विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह⁄ न्यू ट्वीन डिजीटल⁄ मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्त्तमान छविगृह के उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीरण के मद में अथवा नये छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल / मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण मद में दिनांक 31. 03.2015 तक रू0 1.5 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 2 करोड़ से कम का पूँजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ / प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित / नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्षन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपन्न "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण–पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त्त के अधीन प्रपत्र "II" मे विमुक्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।	तीन वर्ष
3	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन⁄विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये छविगृह⁄न्यू ट्वीन डिजीटल⁄मल्टीप्लेक्स सिनेमा केन्द्र का निर्माण।	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन/ विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण के मद में दिनांक 31.03.2015 तक रू० 2 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 3 करोड़ से कम पूँजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ/प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपन्न "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण–पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन	चार वर्ष

क्र० सं०	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निबंधन	अवधि की सीमा
1	2	3	4
		प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।	
4	उन्नयन / विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण अथवा नये	वर्त्तमान छविगृह का उन्नयन/ विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण के मद में अथवा नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल/मल्टीप्लैक्स सिनेमा केन्द्र के निर्माण के मद में दिनांक 31.03.2015 तक रू० 3 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन पुनः प्रारंभ/प्रारंभ किया गया हो एवं पूँजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा विनिर्मित/नवनिर्मित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपन्न "I" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण–पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के शर्त के अधीन प्रपत्र "II" में विमुक्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।	पांच वर्ष

 उपर्युक्त सुविधा वह स्वत्वधारी प्राप्त करेगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्य उपलब्ध सुविधा उक्त अवधि के दौरान पूर्व में नहीं प्राप्त किया गया हो ।

 यह अधिसूचना पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं० एस०ओ० 53, दिनांक 18.03.2010 के क्रम में प्रभावी होगी।

यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(सं0सं0 बिक्री-कर/अन्य कर-04/2012-6772(अन्0),

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

16 अक्तूबर 2012

एस०ओ० 194, एस०ओ० 193, दिनांक 17 अक्तूबर 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 बिक्री-कर/अन्य कर-04/2012-6772(अन्0),

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 16th October 2012

S.O. 193, dated 17th October 2012—In exercise of the Powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 and upon being satisfied that it is necessary to do so in the interest of the State, the Governor of Bihar is hereby pleased to exempt, subject to conditions and restrictions specified in column 3 of the table appended hereto, payment of the entertainment tax for specified in column 2 for the period specified in column 4 thereof:-

SI. **Nature of Entertainment Conditions and restrictions** Period No. 3 4 2 1 01. Expansion/upgradation The theatre commences commercial Two /modernization of existing exhibition after making capital years theatre or construction of investment exceeding Rs. 1 crore but less New theatre. than 1.5 crore upto 31.03.2015 in respect of expansion/upgradation/modernization of existing theatre or construction of New theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner of the theatre shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority. 02. Construction of New The theatre Three commences commercial Theatres/Twin Digital exhibition after making capital years **CinemaCentre/** Multiplexes investment exceedingRs. 1.5 crorebut or Expansion/upgradation less than 2 crore upto 31.03.2015in /modernization of existing respect of construction of New Theatres/ theatre Twin Digital CinemaCentre/ Multiplexes in expansion/upgradation or /modernization/ of existiong theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/ newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority. 03. Construction of New The theatre commences commercial Four Theatres/Twin Digital exhibition Years after making capital **CinemaCentre/** Multiplexes investment exceeding Rs. 2.0 crorebut or Expansion/upgradation less than 3 crore upto 31.03.2015in

<u>Table</u>

Sl. No.	Nature of Entertainment	Conditions and restrictions	Period
1	2	3	4
	/modernization of existing theatre	respect of construction of New Theatres/ Twin Digital CinemaCentre/ Multiplexesor in expansion/upgradation /modernization of existing theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/ newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the	
04.	Construction of New Theatres/Twin Digital CinemaCentre/ Multiplexes or Expansion/upgradation /modernization of existing theatre	Licensing Authority. The theatre commences commercial exhibition after making capital investment exceeding Rs. 3.0 crore upto 31.03.2015in respect of construction of New Theatres/ Twin Digital CinemaCentre/ Multiplexesor in expansion/upgradation /modernization of existing theatre and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded/ newly constructed theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.	Five years

2. The above facility shall be available to those owner who have not availed earlier any other available facility under the act during the said period.

3. This notification shall be effective in continuation with notification no. S.O. 53, dated 18th March, 2010.

4. It shall come into force with effect from the date of its issue.

[F. No. Bikri-kar/Anya kar-04/2012-6772(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-principal Secretary, Commercial Taxes Department.

प्रपत्र I

अधिसूचना संख्या एस०ओ० 193, दिनांक 17 अक्तूबर 2012 के अन्तर्गत कर–विमुक्ति हेतु

आवेदन I

- 1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :--
- 2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वमित्व, सााक्षेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार कम्पनी आदि) —
- छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :--
- विनिर्मित वर्त्तमान छविगृह/नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/ मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-
- पूंजी निवेश का परिमाण :-
- 7. वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने की अनुमानित तिथि :--
- छविगृह पर बकाये की स्थिति (अगर छविगृह उन्नयन का मामला हो) :-

मैं / हम एतद् द्वारा घोषित करता / करती ँहूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरे सर्वोत्तम जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा प्रदर्शन प्रारंभ करने के सात दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गमन करने वाले प्रधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

तिथि :–

स्थान :–

आवेदक का नाम स्वत्वधारी / स्वत्वधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम

(आवेदन निजी स्वमित्तव की स्थिति में व्यवसाय के स्वामी द्वारा, संयुक्त हिन्दु परिवार की स्थिति में कर्त्ता द्वारा, साक्षेदारी व्यवस्था की स्थिति में प्राधिकृत साक्षेदार द्वारा, कम्पनी या कारपोरेशन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एवं किसी सोसाइटी, कल्ब, एसोसियेशन या सरकार के विभाग के स्थिति में प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।)

Form I

Application for exemption from tax under Notification No. S. O. 193, dated 17.10.2012

- 1. Name and complete address of the owner :-
- 2. Name of business (eg. Proprietorship, partnership, Hindu undivided Family, company etc.) :-
- 3. Nature of entertainment:-
- 4. Name and complete address of the Theatre/New twin digital Cinema Centre/Multiplex:-
- 5. Date of commencement of upgradation/expansion/modernization of the existing Theatre or Construction of the Theatre,New twin digital Cinema Centre/Multiplexs:-
- 6. Amount of Capital investment:-
- 7. Estimated date of commencement of commercial exhibition:-
- 8. Due in relation to the theatre (in case of upgradation):-

I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. I/We shall furnish the required certificate issued by the Licensing Authority within seven days of the commencement of commercial exhibition by me/us.

Date :-

Signature of the applicant

Place :_

बिहार गजट (असाधारण), 17 अक्तूबर 2012

(The application shall be signed by the owner of the business in case of a proprietorship firm, the Karta in the case of Hindu Undivided Family, the authorized partner in case of a partnership firm, the principle Executive officer in case of a company or Corporation and the In-charge in the case of a Society, Club, Association or a Department of the Government.)

प्रपत्र II

- अधिसूचना संख्या एस०ओ० 193, दिनांक 17 अक्तूबर 2012 के अन्तर्गत कर–विमुक्ति हेतु प्रमाण–पत्र
 - स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :--
- 2. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वमित्व, सााक्षेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार कम्पनी आदि) :--
- 4. छविगृह / न्यू ट्वोन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :--
- विनिर्मित वर्त्तमान छविगृह/नये छविगृह/न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र/ मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-
- पूंजी निवेश का परिमाण :--
- 7. आवेदन समर्पित करने की तिथि :--
- अनुज्ञप्ति करने वाले प्राधिकारी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र निर्गमन की तिथि :-
- 9. कर विमुक्ति की अवधि :--
- 10. विमुक्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :--

यह विमुक्ति अधिसूचना में दी गयी शर्त्तों के अधीन देय है ।

तिथि :–

1.

स्थान :–

कार्यालय का मुहर

वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ------प्रमंडल.-----

Form II

- 1. Name and complete address of the owner :-
- 2. Nature of business (eg. Proprietorship, partnership, Hindu undivided Family, company etc.,) :-
- 3. Nature of entertainment:-
- 4. Name and complete address of the Theatre/New twin digital Cinema Centre/ Multiplexs:-
- 5. Date of commencement of upgradation of the Theatre/Construction of the Theatre, New twin digital Cinema Centre/Multiplexs:-
- 6. Amount of Capital investment:-
- 7. Date of submission of application :-
- 8. Date of issuance of certificate by Licensing Authority :-
- 9. Period of exemption :-
- 10. Name and designation of the officer issuing the exemption certificate :-This exemption is subject to conditions given in the notification.

Date :-

Place :-

Office Seal

Joint Commissioner of Commercial Taxes (Admin)

.....Division.....

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 560-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in